

16

सं. ए- 43011 /215/ 2018- आरटीआई

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

नई दिल्ली,

दिनांक 10 सितंबर, 2018

कार्यालय जापन

विषय: आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति का गठन।

आवेदकों द्वारा अक्सर पूछी जाने वाली सूचनाओं की श्रेणियों की पहचान करने के लिए विभाग के निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। वेबसाइट को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए इस प्रकार की जानकारी का आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार स्वतः प्रकटीकरण के रूप में सार्वजनिक डोमेन में खुलासा किया जाना आवश्यक है ताकि लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का न्यूनतम उपयोग किया जाए और नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा सके और इसके बेहतर कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उपायों की सिफारिश की जा सके:-

(1) श्री क्षितिज मोहन, निदेशक (आरटीआई) एवं नोडल एफएए

अध्यक्ष

(2) श्री विकास प्रसाद, निदेशक (प्रशा.) एवं एफएए

सदस्य

(3) श्री टी.सी. शिवकुमार, निदेशक (टीसीएस) एवं एफएए

सदस्य

(4) श्री क.के.झेल, उप सचिव(एनआई) एवं एफएए

सदस्य

(5) श्री एस.के. महतो, अंवर सचिव (डीडी- I)

सदस्य

(6) श्री रामानुज डे., अंवर सचिव (डीडी- II एवं V)

सदस्य

(7) श्री डी.के.पांडा, अंवर सचिव (डीडी- III)

सदस्य

(8) सुश्री एम.के.शर्मा, अंवर सचिव (सतर्कता)

सदस्य

(9) श्री ए.के.मंडल, अंवर सचिव (आरटीआई)

सदस्य- संयोजक

2. यदि उपर्युक्त अधिकारी की कोई पदोन्नति / हस्तांतरण / पोस्टिंग / प्रतिनियुक्ति / त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति इत्यादि, चाहे किसी भी कारण से; उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी की होती है, जो भी अधिकारी उसके काम देखेंगे और या जिसे उस अधिकारी के कार्यों को सौंपा जायेगा, जैसा भी मामला हो, समिति में उस अधिकारी का पद स्वतः धारण करेगा।

3. इसे संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

अकुमंडल 10/09/2018
(अरुण कुमार मंडल)

अंवर सचिव(आरटीआई)
फोन:- 011-24365053

सेवा में,

1. समिति के सभी सदस्य.

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

- संयुक्त सचिव (पीएस) के निजी सक्षिकारण के लिए
- एनआईसी- विभाग की वेबसाइट पर का.जा. अपलोड करने के लिए
- आरटीआई सेल/ अनुभाग- ई-ऑफिस पोर्टल में अपलोड करने के लिए